संख्या-25/2017-581ई-2/तेरह-2017-23(रिट)/2015

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 जून,2017

विषय:-रिट याचिका संख्या-1397/टैक्स/2011 मेसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स शामली लि0, मु0 नगर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-10-2012 तथा रिट याचिका संख्या-825/टैक्स/2016 में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0-90/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 06 मार्च2017 एवं पत्र संख्या-जी0-92/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 17 मार्च2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-825/टैक्स/2016 मेसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स शामली लि0, मु0नगर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02-02-2017 तथा 15-02-2017 के अनुपालन में इकाई में वर्ष 2008 में नष्ट हुये शीरे के सापेक्ष प्रशासनिक शुल्क के मद में जमा करायी गयी धनराशि रू0 4,38,706 पर आपके पत्र दिनांक 06-3-2017 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) सेविंग एकाउण्ट पर देय साधारण ब्याज 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से आगणित धनराशि रू0 1,42,741.71 (एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाख बयालिस हजार सात सौ इक्तालिस रूपये इकहत्तर पैसे मात्र) का भुगतान मे0 अपर दोआब शुगर मिल्स लि0, शामली, मुजफ्फरनगर को करने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में देय साधारण ब्याज पर होने वाला व्यय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-"2039-राज्य उत्पाद शुल्क-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधीक्षण-00-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा। भुगतान का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व गणनात्मक शुद्धता एवं बजट की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2017-581(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9;
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा कोषाधिकारी को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से।
(5) आबकारी अनुभाग-1.
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।